मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड

E-AUCTION

के द्वारा प्राप्त करने के सम्बन्ध में

आवश्यक सूचना

मेरठ विकास प्राधिकरण की डा0 राममनोहर लोहियानगर योजना के पॉकेट **CP** तथा पॉकेट **K** एवं शताब्दीनगर योजना के सेक्टर–**4C** के पॉकेट **J** स्थित परिसम्पत्ति सहित ग्रुप हाऊसिंग श्रेणी के भूखण्ड **e-Auction** से प्राप्त करने हेतु दिनांक **16-12-2024** से **18-01-2025** तक का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाईट **www.mdameerut.in** के **e-auction** लिंक पर उपलब्ध है।

सचिव। उपाध्यक्ष।

Program for e-auction Dt. 17-01-2025

REGISTRATION START DATE		16/12/2024 10.00	**Dr. RAM MANOHAR LOHIA NAGAR SCHEME** POCKET CP, PLOT NO. GH-01, POCKET K, PLOT NO. GH-2 AND POCKET K , PLOT NO. GH-3
REGISTRATION END DATE		15/01/2025 17.00	
PAYMENT START DATE & TIME		16/12/2024 10:00	
PAYMENT END DATE & TIME		15/01/2025 23:59	
AUCTION START DATE & TIME		17/01/2025 10.00	
AUCTION END DATE & TIME		17/01/2025 19.00	
{Unlimited Auto extension of 10(Ten) minutes interval will be available if required}			

तथा

Program for e-auction Dt. 18-01-2025

REGISTRATION START DATE		16/12/2024 10.00	**SDATABDI NAGAR SCHEME** SECTOR 4C, POCKET J, PLOT NO. GH-01, PLOT NO. GH-2
REGISTRATION END DATE		15/01/2025 17.00	
PAYMENT START DATE & TIME		16/12/2024 10:00	
PAYMENT END DATE & TIME		15/01/2025 23:59	
AUCTION START DATE & TIME		18/01/2025 10.00	
AUCTION END DATE & TIME		18/01/2025 19.00	
{Unlimited Auto extension of 10(Ten) minutes interval will be available if required}			

DETAILS OF PROPERTIES

SI. No.	SECTOR & POCKET	PROPERTY NO.	AREA IN SQM.	DETAILS OF PROPERTY	RESERVE VALUE INCLUDING LAND COST+CORNER CHARGES IF DUE +FREEHOLD CHARGES+STRUCHER VALUE OF UNFINISHED HOUSES	EMD IN RUPEES	MINIMUM BID for Auction
DR RAM MANOHAR LOHIA NAGAR SCHEME							
1	CP	GH-01	19093.43	GROUP HOUSING	787481022	78748102	7874810
2	K	GH-02	3870.07	GROUP HOUSING	175991020	17599102	1759910
3	K	GH-03	5158.15	GROUP HOUSING	193188958	19318896	1931890
SHATABDI NAGAR SCHEME							
4	4C/J	GH-01	28695.39	GROUP HOUSING	957900590	95790059	9579006
5	4C/J	GH-02	14388.75	GROUP HOUSING	432542925	43254293	4325429

नोटः—

1. तालिका में उल्लिखित ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों का **e-Auction** ''**जहाँ है, जैसा है**'' के आधार पर किया जा रहा है।
2. डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना के पॉकेट **CP** में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 **GH-01** के परिसर में **192** अर्द्धनिर्मित **EWS** व **384** अर्द्धनिर्मित **LIG** भवन स्थित है जिनकी निर्माण+विकास आदि के मद व्यय धनराशि रूपये **28,38,72,713/-** ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आरक्षित मूल्य में शामिल है।
3. डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना के पॉकेट **K** में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 **GH-02** के परिसर में **2BHK Type A** श्रेणी **85** अर्द्धनिर्मित भवन स्थित है जिनकी निर्माण+विकास आदि के मद व्यय धनराशि रूपये **6,37,06,357/-** ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आरक्षित मूल्य में शामिल है।
4. डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना के पॉकेट **K** में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 **GH-03** के परिसर में **2BHK Type B** श्रेणी **84** अर्द्धनिर्मित भवन स्थित है जिनकी निर्माण+विकास आदि के मद व्यय धनराशि रूपये **4,35,32,457/-** ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आरक्षित मूल्य में शामिल है।
5. शताब्दी नगर योजना, सेक्टर—**4C** के पॉकेट **J** में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 **GH-01** के परिसर में **2BHK Type B** श्रेणी **170** अर्द्धनिर्मित

भवन व **1BHK Type C** श्रेणी **74** अर्द्धनिर्मित भवन स्थित है जिनकी निर्माण+विकास आदि के मद व्यय धनराशि रूपये **21,54,93,460/-** ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आरक्षित मूल्य में शामिल है।

6. शताब्दी नगर योजना, सेक्टर–**4C** के पॉकेट **J** में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 **GH-02** के परिसर में **2BHK Type A** श्रेणी **66** अर्द्धनिर्मित भवन स्थित है जिनकी निर्माण+विकास आदि के मद व्यय धनराशि रूपये **6,02,77,185/-** ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आरक्षित मूल्य में शामिल है।
7. उपरोक्त योजना से सम्बन्धित स्थलीय जानकारी प्रभारी अधिशासी अभियन्ता श्री पवन भारद्वाज से कार्यालय समय में मो0सं0 **9837079489** से तथा तकनीकी जानकारी मुख्य नगर नियोजक श्री विजय सिंह से कार्यालय समय में मो0 सं0 **9410534222** से प्राप्त की जा सकती है।

-×-×-×-×-

संख्या ....

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

e-Auction विवरण पुस्तिका

डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना, पॉकेट **CP, K** एवं शताब्दीनगर आवासीय योजना, सेक्टर–**4C** के पॉकेट **J** में नियोजित ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों को ''जहाँ है, जैसा है'' के आधार पर

e-Auction पद्धति से

आवंटन हेतु नियम व शर्तें

(दिनांक **16/12/2024** से **18/01/2025** तक)

e-Auction का प्रोग्राम : प्राधिकरण की वेबसाईट **mdameerut.in** पर **url** **https://mda.procure247.com/** लिंक पर उपलब्ध है।

विवरण पुस्तिका का 18 प्रतिशत **GST** सहित कुल मूल्य रूपये 1180/– मात्र

(विवरण पुस्तिका मूल्य रू0 1,000/– + 18 प्रतिशत **GST** रू0 180/–)

मेरठ विकास प्राधिकरण की डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना, पॉकेट **CP, K** एवं शताब्दीनगर आवासीय योजना, सेक्टर–**4C** के पॉकेट **J** में नियोजित ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों को परिसम्पत्ति सहित **e-Auction** पद्धति से विक्रय किये जाने की नियम एवम् शर्ते–

1. स्वामित्व–

   प्रश्नगत सम्पत्ति प्राधिकरण द्वारा अर्जित है, भार रहित है।

2. स्थल का विवरण–

   डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना, पॉकेट **CP, K** एवं शताब्दीनगर आवासीय योजना, सेक्टर–**4C** के पॉकेट **J** में नियोजित ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों e-Auction हेतु विवरण, स्थल क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण तथा e-Auction का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url https://mda.procure247.com/ लिंक पर उपलब्ध है।

3. e-Auction में भाग लेने हेतु पात्रता–

   (क) आवेदक भारत का नागरिक हो।

   (ख) आवेदक की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष होनी चाहिये।

   (ग) फर्म / साझेदारी फर्म / सोसायटी / कम्पनी (फर्म / सोसायटी / कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

   (घ) प्राईवेट / पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म / सोसायटी / कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

   (ड.) व्यक्तिगत स्वामी।

   (च) रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी (को–आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

   (छ) ट्रस्ट (पंजीकृत / अपंजीकृत)।

   (ज) एच0यू0एफ0।

   (झ) पंजीकृत कर्सोटियम (Consortium) फर्में।

(ण) अन्य (यदि आवेदनकर्ता किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत **हो तो सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर प्राधिकरण** द्वारा विचार किया जायेगा।)।

4. आवेदक को e-Auction में सफल घोषित होने (आवंटन कम किश्त पत्र जारी होने) के पश्चात् निम्नलिखित अभिलेख प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने होंगेः–

(1) भूखण्डों की स्वःहस्ताक्षरारित विवरण पुस्तिका।

(2) निधारित Document Fee व EMD की e-Auction के प्रोग्राम से डाउनलोड की गयी भुगतान की रसीदें।

(3) पैन कार्ड की प्रति।

(4) आधार कार्ड की सम्पूर्ण स्वः प्रमाणित छाया प्रति।

(5) कैन्सिल चैक की प्रति।

(6) यदि आवेदनकर्ता कम्पनी, फर्म, समिति, ट्रस्ट आदि की ओर से भाग ले रहे है तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।

(7) कम्पनी/फर्म आदि की स्थिति में GST पंजीयन प्रमाण की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।

5. प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url https://mda.procure247.com/ लिंक पर उपलब्ध e-Auction के निर्धारित प्रोग्राम अनुसार आवेदकों की bids नियत दिनाँक को e-Auction Program में आमन्त्रित है।

6. e-Auction में शामिल सम्पत्तियों का विवरण तथा Google location/Geo tagging status प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url https://mda.procure247.com/ लिंक पर उपलब्ध है।

7. प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत e-Auction पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदक/फर्म/कम्पनी आदि को इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष e-Auction हेतु विवरण पुस्तिका शुल्क (Document Fee) रूपये **1180/- (Including 18% GST)** मात्र ऑन लाईन भुगतान करना होगा।

8. प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत e-Auction पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदक/फर्म/कम्पनी आदि को इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष निर्धारित धरोहर राशि (EMD) का भुगतान गेट–वे के माध्यम से

अपने खाते से e-Auction हेतु निर्धारित खाते, जिसका विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url https://mda.procure247.com/ लिंक पर उपलब्ध रहेगा, के सापेक्ष करना होगा।

9. आवेदक/फर्म/कम्पनी द्वारा स्वयं के खाते से ही EMD की धनराशि प्रेषित की जाय जो आवेदकों के असफल होने के पश्चात् उसी खाते में धनराशि वापस प्राप्त होगी, अन्य खातों से प्रेषित की गयी धनराशि मान्य नहीं होगी तथा नीलामी में सफल होने के उपरान्त भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है तो बिना अवसर प्रदान किये नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

10. आवेदक/फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य के खाते से **EMD** की धनराशि प्रेषित करने की दशा में वापसी की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।

11. e-Auction के दौरान आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गयी दरें किसी भी दशा में कम नहीं किया जा सकेगा और न ही दी गयी Bids को वापस लिया जा सकेगा।

12. निर्धारित समयावधि के पश्चात् धनराशि प्राप्त होने पर या अन्य तकनीकी कारणों से विलम्ब होने पर यदि आवेदक E-Auction में प्रतिभाग नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

13. विवरण पुस्तिका में प्रकाशित रिक्त भूखण्डों की तालिका के अन्तिम कॉलम में प्रत्येक भूखण्ड के सम्मुख आवेदकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम् बिड MINIMUM BID for Auction का उल्लेख है, के सापेक्ष आवेदक (MINIMUM BID) से कम अपनी बिड नहीं दें सकेगें।

14. e-Auction की निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् e-Auction समिति द्वारा आवेदकों द्वारा e-Auction में दी गयी दरों के प्रपत्र डाउनलोड कराकर आवेदकों की प्राप्त दरों का आंकलन किया जायेगा। आवेदकों की उच्चतम् दर के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति पर विचार करते हुए उच्चतम् दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को होगा। उनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवम् इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

15. e-Auction की समाप्ति के पश्चात H-1 आवेदकों को छोडकर शेष सभी आवेदकों की जमा EMD उनके खाते में RTGS के माध्यम से वापस की जायेगी तथा जो भी H-1 आवेदक उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के

निर्णयानुसार असफल घोषित किया जायेगा, उसकी EMD उनके खाते में RTGS के माध्यम से वापस की जायेगी।

16. आवेदकों के पक्ष में e-Auction पद्धति से भूखण्ड आवंटित हो जाने के पश्चात्, ''भूखण्ड का फ्रीहोल्ड सहित मूल्य'' पचास लाख या उससे अधिक होने की स्थिति में ''भूखण्ड के फ्रीहोल्ड सहित मूल्य'' पर आयकर अधिनियम–1961 की धारा 194IA के अन्तर्गत देय 01 (एक) प्रतिशत टी0डी0एस0 की धनराशि आवेदकों द्वारा स्वयं चालान के माध्यम से मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पेन नं0 AAALM0124D पर निर्धारित समय अवधि (आवंटन–कम–किश्त निर्गत दिनांक से 30 दिन के अन्दर) में ही जमा कराते हुए ''फार्म 26QB'' एवं ''चालान'' की प्रति/रसीद की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्राधिकरण कार्यालय में आवंटित सम्पत्ति में अपलोड कराने हेतु, जमा करनी होगी।

17. सम्पत्ति के आवंटन–कम–किश्त में उल्लिखित आवंटन धनराशि व सब्याज निर्धारित देय किश्तें तथा अन्य देय धनराशि जो प्राधिकरण कार्यालय द्वारा सूचित की गयी हो, सफल आवेदकों द्वारा एच0डी0एफ0सी0बैंक, सूर्यान्श प्लाजा, गढ़ रोड़, मेरठ (Details For RTGS Account No. 50100056171918, IFSC CODE : HDFC0001911) में अथवा प्राधिकरण परिसर स्थित इण्डियन बैंक (Details For RTGS Account No. 21066035769, IFSC CODE : IDIB000M679) उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट अथवा RTGS द्वारा जो मेरठ में देय हो, के द्वारा जमा करते हुए, जमा रसीद की छाया प्रति सम्बन्धित सम्पत्ति अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।

18. e-Auction के सफल आवेदकों के द्वारा शासनादेश सं0 72/3488/आठ–1–14–30विविध/2014 दिनाँक 12 दिसम्बर, 2014 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार सम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य की 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड की धनराशि देय होगी जो तद्नुसार भूखण्ड के आरक्षित भूमि मूल्य में शामिल कर ली गयी है।

19. आवंटित परिसम्पत्ति का आवंटन कम किश्त पत्र जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर शत प्रतिशत (100%) भुगतान करने पर परिसम्पत्ति का कार्नर चार्ज व फ्रीहोल्ड चार्ज रहित मूल्य, परिसम्पत्ति के आंकलित मूल्य पर 2 (दो) प्रतिशत की छूट दी जायेगी अर्थात् परिसम्पत्ति के बेसिक मूल्य पर 2 (दो) प्रतिशत की छूट देय होगी। देय धनराशि का भुगतान, चैक/बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट अथवा आर0टी0जी0एस0 के

माध्यम से जमा करने की दशा में धनराशि का प्राधिकरण के खाते में वास्तविक अन्तरण की तिथि को आधार माना जायेगा।

महत्वपूर्ण शर्तेः—

20. e-Auction की प्रक्रिया में शामिल सम्पत्ति, e-Auction में शामिल भूखण्ड प्रथम बार शामिल किये जा रहे है। अतः इन सभी सम्पत्तियों की e-Auction में कम से कम 03 बिडर का होना अनिवार्य है। e-Auction में सफल आवेदक—उच्चतम् दरदाता (Highest bider) को सम्पत्ति के विक्रय विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में शासन द्वारा जारी/निर्धारित शर्तों/नियमों/आदशों का अनुपालन करना होगा।

21. e-Auction के सफल आवेदक/उच्चतम् दरदाता को आवंटित परिसम्पत्ति का आवंटन कम किश्त पत्र email के माध्यम से आवेदकों की Id पर प्रेषित किया जायेगा। आवेदकों को आवंटित परिसम्पत्ति की सकल मूल्य की शुद्ध 25% धनराशि {धरोहर राशि (EMD) का समोयोजन करते हुए} आवंटन धनराशि का उल्लेख करते जारी किया जायेगा। पत्र में उल्लिखित आवंटन धनराशि, आवंटन कम किश्त पत्र के जारी दिनांक से एक माह की नियत अवधि में जमा करनी होगी। परिसम्पत्ति की बकाया 75% धनराशि, 13.00% वार्षिक दर से निर्धारित 3 वर्ष की 6 समान छमाई किश्तों में देय होगी। पहली छमाई किश्त, आवंटन धनराशि के देय दिनांक से छः माह में देय होगी। तद्नुसार ही शेष अगली 5 छमाई किश्तें 6—6 माह के अन्तराल पर भी देय होगी। आवंटन धनराशि एवं देय किश्तों का विवरण, आवंटन कम किश्त पत्र में उल्लिखित कर निर्गत किया जायेगा। देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 16.00% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज (आगणित प्रत्येक छमाही) अतिरिक्त देय होगा।

22. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। यदि आवंटित परिसम्पत्ति का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी। कार्नर परिसम्पत्ति के निहित भूमि का क्षेत्रफल 03 एकड़ से कम होने की दशा में उच्चतम् दर से 10% कॉर्नर चार्ज अतिरिक्त देय होगा तथा 03 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के कार्नर परिसम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य पर कॉर्नर चार्ज देय नहीं होगा जो तद्नुसार परिसम्पत्ति मूल्य में शामिल कर लिया गया है। भूखण्ड का अतिरिक्त क्षेत्रफल प्राप्त होने पर उपरोक्तानुसार कॉर्नर चार्ज सहित मूल्य, व उस पर देय 12% फ्रीहोल्ड की धनराशि की गणना की जायेगी।

23. लगातार 2 किश्तों का समय से भुगतान न किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त कर प्राधिकरण में जमा emd धनराशि पूर्ण रूप से जब्त करते हुए शेष जमा धनराशि में से 25 प्रतिशत कटौती करके शेष बची हुई धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी तथा भूमि/भूखण्ड से बेदखल कर प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि/भूखण्ड पर कब्जा (Resume) प्राप्त किया जायेगा। आवंटी द्वारा इस सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।

24. e-Auction का किश्त पत्र जारी होने के उपरान्त प्रत्येक दशा में भूखण्ड की आवंटन धनराशि एक माह की अवधि में जमा न होने की दशा में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा निरस्तीकरण के दिनांक के दो माह के अन्दर यदि उच्चतम् दरदाता (Highest bider) निरस्त सम्पत्ति के पुर्नबहाली हेतु प्रार्थना प्रस्तुत नहीं करता है, तो सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। यदि उच्चतम् दरदाता (Highest bider)/आवेदक, ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड के निरस्तीकरण दिनांक के दो माह के अन्दर सम्पत्ति की पुर्नबहाली हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तो दिनांक 07–12–2016 को सम्पन्न 108वीं बोर्ड बैठक द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयानुसार पुर्नबहाली प्रक्रिया अपनाकर भूखण्ड की बहाली की जायेगी तथा भूखण्ड की देनदारी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगीः–

मद सं0–08	*प्राधिकरण की योजनाओं में आबंटित सम्पत्ति के सापेक्ष भुगतान शिडयूल के अनुसार देय धनराशि समय से जमा न करने पर हुए निरस्तीकरण उपरान्त बहाली के सम्बन्ध में।*	*प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्ध के अधीन रेस्टोरेशन का निर्णय लिया गया–* *(1) रेस्टोरेशन से पूर्व अध्यावधिक किश्तों में शामिल ब्याज की धनराशि को जमा करने पर ही रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।* *(2) सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य (जिलाधिकारी की सर्किल दर) या नीलामी दर जो भी अधिक हो, पर रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।*

25. कर आदि की देयताः–

ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड धारक द्वारा, समय–समय पर शासन द्वारा आरोपित समस्त करों का भुगतान किया जायेगा।

26.आवंटी–बिल्डर द्वारा ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त विलेख के निष्पादन हेतु नियमानुसार देय स्टाम्प देयता, आवंटी द्वारा वहन की जायेगी।

27.परिसम्पत्ति जिस प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिये ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।

28.आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवम् विकास अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। भूखण्ड पर निर्माण अध्यावधिक शासनादेशों एवम् ''प्रभावी भवन मानचित्र उपविधि'' में उल्लिखित शर्तो, प्रतिबन्धों, उप–नियमों के अनुसार ही अनुमन्य किया जायेगा।

29.**सेवाओं तथा सुविधाओं का प्राविधान–**

प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित आवासीय भूमि/भूखण्डों के समीप जो ड्रेन्स, सीवर व विद्युत लाईन की सुविधायें वर्तमान में विद्यमान है उसमें, विकसित की जाने वाली कालोनी की सर्विसेज़ को जोड़े जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा योजना की भूमि/भूखण्डों में आन्तरिक एवम् उपलब्ध उपरोक्त सर्विसेज से जोड़ने हेतु विकास कार्य आवंटी–बिल्डर द्वारा स्वयं कराये जायेगे। योजना में विज्ञापित आवासीय भूमि/भूखण्डों हेतु भविष्य में विकास प्राधिकरण द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का जब कभी प्राविधान किया जायेगा तो उस होने वाला व्यय समानुपातिक रूप से आवंटी–बिल्डर द्वारा प्राधिकरण को सेवा पर देय होगा। उक्त मद में देय धनराशि का माँग पत्र सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा निर्गत करने के पश्चात् देय धनराशि समय से न जमा किया जाने पर 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज भी देय होगा।

30.**ले–आऊट तथा भवन डिजाईनों का प्रस्तुतिकरण–**

आवंटी द्वारा ग्रुप हाऊसिंग हेतु आवंटित आवासीय भूमि/भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के 4 माह की अवधि के अन्दर ''प्रभावी भवन मानचित्र उपविधि'' में उल्लिखित निर्धारित मानकों एवम् समय समय पर जारी शासनादेशों के प्राविधानों के अन्तर्गत भूमि/भूखण्ड का ले–आऊट तथा भवनों के डिजाईन विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करने होगे। ले–आऊट प्लान ''प्रभावी भवन मानचित्र उपविधि'' में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ग्रुप हाऊसिंग हेतु आवंटित आवासीय भूमि/भूखण्ड पर आवासीय भवनों का निर्माण अनुमन्य होगा। ले–आऊट प्लान एवम् भवनों के निर्माण की

अनुमति के लिये प्रस्तुत प्रस्ताव में निम्न विवरण अवश्य प्रस्तुत किये जायेगें।

(1) भू–भाग की मॉपें, क्षेत्रफल एवम् आवासीय योजना में स्थिति।

(2) भू–भाग के विकास का ले–आऊट तथा ट्रंक सेवाओं की स्थिति एवम् क्षेत्रफल दर्शाते हुए आन्तरिक विकास कार्य की समस्त विशिष्टियां, कार्य पूर्ति की समय सारणी सहित।

(3) प्रस्तावित भवनों के निर्माण से सम्बन्धित तलों के प्लान, समस्त एलीवेश्न तथा भवनों के मध्य से ऐसे एलीवेशन जिससे भवनों की आन्तरिक संरचना पूर्णतया स्पष्ट हो सके। समस्त मानचित्रों की निर्धारित संख्या में प्रतियाँ मैट्रिक प्रणाली में निर्धारित स्केल पर एक निर्धारित माप के कागज पर प्रस्तुत की जायेगी।

(4) समस्त मानचित्र ''काउसिल ऑफ आर्किटेक्चर'' से पंजीकृत वास्तुविद, पंजीकृत नगर नियोजक, स्ट्रक्चरल इन्जीनियर तथा आवंटी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे। तीन मंजिल से अधिक ऊँचाई के भवनों के निर्माण में भूकम्परोधी प्राविधान किये जाने एवम् उनके स्ट्रक्चरल सेफ्टी के बारे में किसी मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इन्जीनियर का प्रमाण पत्र एवं विस्तृत डिजाइन भी संलग्न किया जायेगा। ले–आऊट प्लान में प्रस्तावित भवनों के निर्माण हेतु महायोजना के प्राविधानों एवम् ''प्रभावी भवन मानचित्र उपविधि'' में उल्लिखित वाँछित माप–दण्डों एवम् मानचित्रों के साथ आवश्यकतानुसार अग्निशमन विभाग की अनापत्ति भी संलग्न की जायेगी। साथ ही ग्राउन्ड वाटर रीचार्जिंग के लिये वाटर हार्वेस्टिंग के आवश्यक प्राविधान करने होंगे। शासन द्वारा अपेक्षित अन्य सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा।

(5) भूखण्डों के लिये भू–आच्छादन एफ0ए0आर0 आदि बिल्डिंग बाईलॉज/शासनादेशानुसार अनुमन्य होगा।

31. मानचित्रों पर अनापत्ति एवम् विकास व्यय का भुगतान–

विकास एवम् भवन निर्माण के मानचित्रों पर 6 सप्ताह की अवधि में या तो समस्त आपत्तियाँ एक साथ प्रस्तुत कर दी जायेगी अथवा प्रस्ताव पर इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जायेगा कि आवंटी आन्तरिक विकास कार्य आरम्भ करने के लिये विकास व्यय का अनुमान तथा भवनों का प्रस्तावित निर्माण व्यय सूचित करें। विकास एवम् निर्माण कार्य की विशिष्टियाँ, डिजाईन तथा आगणन पर किसी मान्यता प्राप्त इन्जीनियर से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

32. विकास कार्य हेतु बैंक गारन्टी व कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति–

ग्रुप हाऊसिंग हेतु भूमि/भूखण्ड के आवंटी द्वारा प्रस्तावित आन्तरिक विकास व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् आवंटित आवासीय भूखण्ड पर विकास करते समय आवंटी से ली जाने वाली बैंक गारन्टी तीन चरणों में एक तिहाही कुल विकास व्यय के सापेक्ष, प्रश्नगत चरण का विकास कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, उस चरण हेतु समानुपातिक रूप से लें ली जायेगी। विकास कार्य आरम्भ करने की अनुमति बैंक गारन्टी प्राप्त करने के एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण द्वारा निर्गत कर दी जायेगी। यदि परीक्षण में किसी चरण का आन्तरिक विकास नियमानुसार नहीं पाया गया तो विकास प्राधिकरण को प्रश्नगत चरण के विकास कार्य के निमित्त जमा की गयी बैंक गारन्टी भुनाकर कार्य सम्पन्न कराने का अधिकार होगा। विकास कार्य की स्वीकृति निर्गत होने के साथ–ही–साथ निर्माण कार्य आरम्भ करने में सक्षम होंगे। विकास एवम् निर्माण कार्य के निरीक्षण हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा प्रचलित व्यवस्था के अनुसार आवंटित भूमि/भूखण्ड के क्षेत्रफल पर रूपये 3/– प्रति वर्ग मीटर की दर से निरीक्षण शुल्क तथा भवनों के निर्माण हेतु कुल आच्छादित क्षेत्रफल का रूपये 7/– प्रति वर्ग मीटर की दर से निरीक्षण शुल्क के रूप में आवंटी द्वारा विकास प्राधिकरण को जमा कराया जायेगा।

33. कार्य आरम्भ होने के पूर्व लिखित सूचना–

विकास एवम् निर्माण कार्य की विकास प्राधिकरण से अन्तिम रूप से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् आवंटी चरणबद्ध विकास/निर्माण किये जाने वाले कार्यो की लिखित सूचना (नोटिस ऑफ कमेन्समेन्ट) विकास प्राधिकरण को कार्य आरम्भ करने से कम–से–कम 2 सप्ताह पूर्व दी जायेगी जिसमें प्रश्नगत चरण में किये जाने वाले विकास एवम् निर्माण कार्यो का संक्षिप्त विवरण दिया जायेगा ताकि प्रश्नगत चरण के परिपेक्ष्य में कार्यो की प्रगति एवम् विशिष्टियों का निरीक्षण सम्बन्धित अभिकरण के प्रतिनिधि द्वारा किया जा सके।

34. कार्य समाप्ति–

समस्त चरणों का विकास एवम् निर्माण कार्य प्रत्येक चरण हेतु पूर्व निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना होगा। उच्चतम् बोलीदाता (आवंटी) के लिये आवंटित आवासीय भूमि/भूखण्ड का सम्पूर्ण विकास करने के लिये अधिक–से–अधिक पाँच वर्षो की अवधि अनुमन्य होगी। इस निर्धारित अवधि में अथवा सम्बन्धित अभिकरण द्वारा स्वीकृत समय सारणी के अनुसार प्रत्येक चरण का विकास/निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

निर्मित/विकसित भवनो/भूखण्डों के सम्बन्ध में उच्चतम् बोलीदाता (आवंटी) द्वारा कार्य समाप्ति की लिखित सूचना विकास प्राधिकरण को दी जायेगी। विकास प्राधिकरण द्वारा इस सूचना के एक माह के उपरान्त या भीतर कार्य यदि पूर्व अनुमोदित विशिष्टिताओं के अनुरूप पायें गये तो कार्य सही रूप से समाप्त होने का प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ कम्पलीशन) आवंटी को दे दिया जायेगा।

35.कब्जा हस्तान्तरण/रजिस्ट्री–

(अ) आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा, नकद भुगतान के आवंटियों को शत प्रतिशत धनराशि, पानी सीवर शुल्क व प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प डयूटी पर ''विक्रय विलेख'' पंजीकृत कराने के उपरान्त कब्जा दिया जायेगा।

(ब) आवंटित परिसम्पत्ति के किश्तों के आवंटियों को प्राथमिक स्टेज़ पर सम्पत्ति का कब्जा, 25% (पच्चीस प्रतिशत) धनराशि, पानी सीवर शुल्क व प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प डयूटी पर ''कब्जा अनुबन्ध'' पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(स) यदि आवंटी किश्तों के चलते हुए मध्यावधि में परिसम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करना चाहें, तो आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा, तत्समय तक की देय हो चुकी किश्तों की धनराशि अप–टू–डेट जमा करने, पानी सीवर शुल्क व प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त, देय स्टाम्प डयूटी पर ''कब्जा अनुबन्ध'' पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(द) यदि आवंटित परिसम्पत्ति की सभी किश्तें देय हो चुकी है, आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा, पूर्ण भुगतान के पश्चात् पानी सीवर शुल्क व प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प डयूटी पर ''विक्रय विलेख'' पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(य) यदि आवंटी परिसम्पत्ति के आवंटन के पश्चात् प्राथमिक स्टेज पर 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के पश्चात् अथवा किश्तों के चलते रहते ''कब्जा अनुबन्ध'' पंजीकृत कराकर सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त कर चुका है, तो आवंटी द्वारा ''कब्जा अनुबन्ध'' में समय वहन की गयी स्टाम्प डयूटी, रजिस्ट्री के समय देय स्टाम्प डयूटी में नियमानुसार समायोजित करते हुए

परिसम्पत्ति का ''विक्रय विलेख'' आवंटी के पक्ष में निष्पादित किया जायेगा।

(र) आवंटित परिसम्पत्ति के सापेक्ष पूर्ण धनराशि जमा होने के 6 माह के पश्चात् 06 माह की अवधि में विक्रय विलेख निष्पादित कराना होगा, अन्यथा रूपये 1,000/— प्रति माह की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

36.ग्रुप हाऊसिंग हेतु आवंटित आवासीय भूमि/भूखण्ड पर निर्माण हेतु विकसित सेवाओं का रख—रखाव—

(1) विकास कार्य एवम् भवनों के निर्माण की समाप्ति के पश्चात् सभी आन्तरिक सेवाओं, सड़कों तथा पार्को आदि का रख—रखाव उच्चतम् बोलीदाता (आवंटी) द्वारा कार्यावधि समाप्ति से पूर्व तक स्वयं अपने व्यय पर किया जायेगा।

(2) फ्लैट प्रणाली विकास के लिये विकास प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उच्चतम् बोलीदाता (आवंटी) द्वारा समस्त संयुक्त सुविधाओं जैसे—जीना, कोरीडोर, ओवरहैड टैंक आदि के अतिरिक्त कोई सम्पत्ति अनावंटित नहीं छोड़ी गयी है तथा संयुक्त सुविधाओं का रख—रखाव भवन के आवंटियों की सहकारी समिति को सौंप दिया जायेगा। समिति अथवा स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण तक संयुक्त सुविधाओं का रख—रखाव आवंटी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(3) ग्रुप हाऊसिंग हेतु आवंटित भूमि/भूखण्ड पर करायें जाने वाले विकास कार्यो एवम् अवस्थापना सुविधाओं जैसे—विद्युत कनैक्शन आदि हेतु सम्बन्धित विभाग में आवेदन कर व्यवस्था आवंटी को स्वयं अपने व्यय पर करानी होगी।

37.कार्य समाप्ति के पश्चात् आवंटी का उत्तरदायित्व—

(1) कार्य समाप्ति के पश्चात् विकास एवम् निर्माण कार्यो में पायी गयी कमियों के लिये उच्चतम् बोलीदाता (आवंटी) का उत्तरदायित्व होगा जिसके लिये अनुमानित विकास एवम् निर्माण व्यय के 5 प्रतिशत के बराबर धनराशि आवंटी द्वारा विकास प्राधिकरण को परिसम्पत्ति के आवंटन के पश्चात् एक वर्ष की अवधि हेतु बैंक गारन्टी के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। यदि ऐसी कुल धनराशि विकास से पूर्व जमा विकास व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक हो तो अवशेष धनराशि निर्माण कार्य समाप्ति के प्रमाण पत्र दिये जाने से पूर्व विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कर ली जायेगी।

38.अन्य शर्ते–

(1) मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दी नगर जो कि नगर निगम मेरठ को हस्तान्तरित नहीं है, e-Auction में शामिल भूखण्डों की आरक्षित दर की गणना नियमानुसार प्राधिकरण की योजना की सेक्टर दर को आधार मानकर की गयी है। कॉर्नर भूखण्डों की आरक्षित दर में नियमानुसार कॉर्नर चार्ज शामिल है।

(2) प्राधिकरण की किसी भी योजना में किसी कारणवश अथवा विधि बाध्यता के कारण प्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी की स्थिति में भूखण्ड का मूल्य बढ़ता है तो वह उच्चतम् दरदाता (Highest bider) द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम् दरदाता (Highest bider) से वसूल की जायगी। सम्पत्ति पर प्राधिकरण का उक्त बकाया के क्रम में प्रथम अधिकार होगा।

(3) नीलामी समिति के अध्यक्ष/प्राधिकरण सचिव/प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति को बिना कारण बताये e-Auction पद्धति से नीलाम की जा रही सम्पत्ति को e-Auction से हटाने/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।

(4) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

(5) यदि विकास प्राधिकरण सफल आवेदक/उच्चतम् दरदाता को कब्जा हस्तगत किये जाने में विफल रहता है तो उसकी जमा emd धनराशि बिना ब्याज, बिना कटौती के वापस की जायेगी।

(6) आवंटित परिसम्पत्तियों पर विक्रय विलेख/कब्जा अनुबन्ध निष्पादित किये जाने के पूर्व यदि सम्पत्ति के क्षेत्रफल में कोई कमी/वृद्धि होती है तो आवंटी को तद्नुसार वृद्धि की दशा में तत्समय प्रचलित नियमों के अन्तर्गत सम्पत्ति के विरूद्ध देय धनराशि की अदायगी करनी होगी।

(7) तालिका में उल्लिखित ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों का **e-Auction** ''**जहाँ है, जैसा है**'' के आधार पर किया जा रहा है।

(8) डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना के पॉकेट **CP** में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 **GH-01** के परिसर में **192** अर्द्धनिर्मित **EWS** व **384** अर्द्धनिर्मित **LIG** भवन स्थित है जिनकी निर्माण+विकास आदि के

मद व्यय धनराशि रूपये **28,38,72,713/-** ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आरक्षित मूल्य में शामिल है।

(9) डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना के पॉकेट **K** में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 **GH-02** के परिसर में **2BHK Type A** श्रेणी **85** अर्द्धनिर्मित भवन स्थित है जिनकी निर्माण+विकास आदि के मद व्यय धनराशि रूपये **6,37,06,357/-** ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आरक्षित मूल्य में शामिल है।

(10) डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना के पॉकेट **K** में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 **GH-03** के परिसर में **2BHK Type B** श्रेणी **84** अर्द्धनिर्मित भवन स्थित है जिनकी निर्माण+विकास आदि के मद व्यय धनराशि रूपये **4,35,32,457/-** ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आरक्षित मूल्य में शामिल है।

(11) शताब्दी नगर योजना, सेक्टर–**4C** के पॉकेट **J** में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 **GH-01** के परिसर में **2BHK Type B** श्रेणी **170** अर्द्धनिर्मित भवन व **1BHK Type C** श्रेणी **74** अर्द्धनिर्मित भवन स्थित है जिनकी निर्माण+विकास आदि के मद व्यय धनराशि रूपये **21,54,93,460/-** ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आरक्षित मूल्य में शामिल है।

(12) शताब्दी नगर योजना, सेक्टर–**4C** के पॉकेट **J** में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 **GH-02** के परिसर में **2BHK Type A** श्रेणी **66** अर्द्धनिर्मित भवन स्थित है जिनकी निर्माण+विकास आदि के मद व्यय धनराशि रूपये **6,02,77,185/-** ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आरक्षित मूल्य में शामिल है।

(13) ग्रुप हाउसिंग के भूखण्डों पर एफ0ए0आर0 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 यथा संशोधित के प्राविधानों के अनुसार देय होगा।

(14) स्थल पर निर्मित स्ट्रेक्चर की आन्तरिक संरचना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से पूर्व प्राधिकरण से अनुमति आवश्यक होगी तथा उक्त परिवर्तन संरचनात्मक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

(15) **e-Auction** में शामिल पुर्ननियोजत ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से पूर्व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 यथा संशोधित के प्राविधानों के अनुसार प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराया जाना होगा।

(16) ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों पर आंकलित जनसंख्या के आधार पर व्यवसायिक/सामुदायिक सुविधाएं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 यथा संशोधित के अनुसार अनुमन्य होगी।

(17)किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इन शर्तो में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जिसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

e-Auction में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा–

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तो का अध्ययन कर लिया गया है जो मुझे मान्य है।

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर एवम् पूरा नाम व पताः–

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पिता का नाम ....

पति का नाम ....

मो0नं0 . . . . व

Email id : ....

पता ....

....

....

आवेदक का फोटोग्राफ

DETAILS OF PROPERTIES

Sl. No.	SECTOR & POCKET	PROPERTY NO.	AREA IN SQM.	DETAILS OF PROPERTY	RESERVE VALUE INCLUDING LAND COST+CORNER CHARGES IF DUE +FREEHOLD CHARGES+STRUCHER VALUE OF UNFINISHED HOUSES	EMD IN RUPEES	MINIMUM BID for Auction
DR RAM MANOHAR LOHIA NAGAR SCHEME							
1	CP	GH-01	19093.43	GROUP HOUSING	787481022	78748102	7874810
2	K	GH-02	3870.07	GROUP HOUSING	175991020	17599102	1759910
3	K	GH-03	5158.15	GROUP HOUSING	193188958	19318896	1931890
SHATABDI NAGAR SCHEME							
4	4C/J	GH-01	28695.39	GROUP HOUSING	957900590	95790059	9579006
5	4C/J	GH-02	14388.75	GROUP HOUSING	432542925	43254293	4325429

नोटः—

1. तालिका में उल्लिखित ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों का **e-Auction** ''**जहाँ है, जैसा है**'' के आधार पर किया जा रहा है।
2. डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना के पॉकेट **CP** में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 **GH-01** के परिसर में **192** अर्द्धनिर्मित **EWS** व **384** अर्द्धनिर्मित **LIG** भवन स्थित है जिनकी निर्माण+विकास आदि के मद व्यय धनराशि रूपये **28,38,72,713/-** ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आरक्षित मूल्य में शामिल है।
3. डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना के पॉकेट **K** में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 **GH-02** के परिसर में **2BHK Type A** श्रेणी **85** अर्द्धनिर्मित भवन स्थित है जिनकी निर्माण+विकास आदि के मद व्यय धनराशि रूपये **6,37,06,357/-** ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आरक्षित मूल्य में शामिल है।
4. डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना के पॉकेट **K** में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 **GH-03** के परिसर में **2BHK Type B** श्रेणी **84** अर्द्धनिर्मित भवन स्थित है जिनकी निर्माण+विकास आदि के मद व्यय धनराशि रूपये **4,35,32,457/-** ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आरक्षित मूल्य में शामिल है।
5. शताब्दी नगर योजना, सेक्टर—**4C** के पॉकेट **J** में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 **GH-01** के परिसर में **2BHK Type B** श्रेणी **170** अर्द्धनिर्मित

भवन व **1BHK Type C** श्रेणी **74** अर्द्धनिर्मित भवन स्थित है जिनकी निर्माण+विकास आदि के मद व्यय धनराशि रूपये **21,54,93,460/-** ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आरक्षित मूल्य में शामिल है।

6. शताब्दी नगर योजना, सेक्टर–**4C** के पॉकेट **J** में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 **GH-02** के परिसर में **2BHK Type A** श्रेणी **66** अर्द्धनिर्मित भवन स्थित है जिनकी निर्माण+विकास आदि के मद व्यय धनराशि रूपये **6,02,77,185/-** ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आरक्षित मूल्य में शामिल है।

7. उपरोक्त योजना से सम्बन्धित स्थलीय जानकारी प्रभारी अधिशासी अभियन्ता श्री पवन भारद्वाज से कार्यालय समय में मो0सं0 **9837079489** से तथा तकनीकी जानकारी मुख्य नगर नियोजक श्री विजय सिंह से कार्यालय समय में मो0 सं0 **9410534222** से प्राप्त की जा सकती है।

-×-×-×-×-